प्र.क्र.-53/2017 धबूबाई/मोहन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/6/22	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र जवाब व वकील इलमदत्त की बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार विपक्षीगण 1 व 2 के अटग-खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीगण के द्वारा पत्रावली में कोई ऐसा ठोस पुख्ता कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी होने का कोई दस्तावेज या No comments पेश नहीं किया जिससे यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थीगण का कब्जा दखल प्रमाणित है। सुविधा का संतुलन एवं अपरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। चूंकि पत्रावली में पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति होने के पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं करने की स्थिति में वकील प्रार्थीगण द्वारा अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहे है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। तथा पर पेश किए खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना अपना खर्चा वहन करेंगे।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:42:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी